

20/3/18

पत्रावली पत्र ३२०
उपस्थित । पत्रावली अधिकारी के राजकाय
में सुधार के लिए प्रकल्प में सुनवाई नहीं
है तथा । पत्रावली पूर्ववत् दिनांक

7/5/18
पेश हो । पुनश्च पत्रावली दि. 10/5/18 को केम्प
लाख सनीजा में पेश हो।

10/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्पलाख सनीजा में
पेश हुई। वकील वादी उरा बताया गया
कि उभयपक्ष के मध्य सलीनामा हो चुका है
तथा वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
अतः वाद विद्रो किया जावे। वकील वादी
के अधिनानुसार एवं सलमाह के आधार पर
वाद वादी विद्रो किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। पत्रावली फेंकल शुरू होकर
दाखिल दफ्तर हो।

